न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 111/18 उपनिवेशन विविध

राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.3 मुख्यालय बज्जु।

—प्रार्थी

: ब ना म :

चोखाराम पुत्र गोदूराम जाट साकिन मिचौली, तहसील खेतड़ी, जिला झूंझनू

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ।
2. अप्रार्थी हाजिर नहीं।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 11.09.2019

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना—पत्र दिनांक 29.10.12 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना—पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 1 एमडबल्यूएम के मु.नं. 177/60 की 22.11 बीघा कमाण्ड व 1.14 बीघा अनकमाण्ड कुल 24.05 बीघा भूमि आवंटन अधिकारी एवं अति. आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा अप्रार्थी को दिनांक 04.06.2007 को राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1975 के अन्तर्गत आवंटित की गयी जो नियम विरूद्ध होने के कारण आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

2. अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी अथवा उनकी ओर से कोई उपस्थित नही आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गयी।

3. अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर विभागीय प्रतिनिधि की एकतरफा बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को विनिमय समिति की अनुशंषा के बिना आवंटन अधिकारी द्वारा विनिमिय में आवंटन किया गया है जो प्रकिया एवं नियमो के विपरित होने से निरस्त योग्य है। विभागीय प्रतिनिधि की यह भी बहस है कि आवंटन पत्रावली में उपलब्ध आवंटन पर्ची पर आवंटन सलाहकार समिति के समस्त सदस्यो के हस्ताक्षर नहीं है। इससे यह प्रकट होता है कि आवंटन पर्ची में हेराफेरी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान उपनिवेशन (आईजीएनपी क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विकय) नियम 1975 के नियम 22(3) के अन्तर्गत अप्रार्थी को नियम विरूद्ध किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

5. हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में हम यह उचित समझते है कि राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) के संबंध में कोई उल्लंधन तो नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी को भूमि आवंटन की सत्यता/प्रमाणिकता के संबंध में हम विस्तृत जांच करवायी जाना न्यायोचित समझते है।

6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी को दिनांक 04.06.07 को उपनिवेशन तहसील कोलायत नं.3 के चक 1 एमडबल्यूएम के मु.नं. 177/60 की 22.11 बीघा कमाण्ड व 1.14 बीघा अनकमाण्ड कुल 24.05 बीघा का आवंटन निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य/ सबूत प्रस्तुत करनें का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण की विधिवत विस्तृत जांच कर समुचित निर्णय पारित करे।

7. आदेश आज दिनांक **11.09.19** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर